अध्याय-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

अध्याय-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा सा क्षे उ) द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की निगरानी भूमिका, इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव और लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के दृष्टांत से संबंधित है।

2.1 रा सा क्षे उ के लेखाओं की लेखापरीक्षा

2.1.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, सी ए जी किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सी ए जी द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिनों के भीतर की जाएगी। यदि सी ए जी 60 दिनों की उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी का निदेशक मंडल अगले 30 दिनों के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा; और अगले 30 दिनों के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्त करने में बोर्ड की विफलता के मामले में, यह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा जो अगले 60 दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक में ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक पहली साधारण बैठक के समापन तक पद धारण करेगा।

उत्तराखण्ड में सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चार सांविधिक निगमों में से सी ए जी तीन सांविधिक निगमों[1] का एकमात्र लेखापरीक्षक है और एक सांविधिक निगम नामतः उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के संबंध में, सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सी ए जी की सलाह पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की जाती है।

---

[1] उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

2.1.2 सांविधिक लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है।

जैसा कि ***प्रस्तर-2.1.1*** में चर्चा की गई है, सी ए जी तीन सांविधिक निगमों का एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक सांविधिक निगम के मामले में, सांविधिक लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है।

2.1.3 लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी[2] प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक आम बैठक (वा आ बै) के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी, तथा एक वा आ बै की तिथि और अगली वा आ बै की तिथि के मध्य 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रथम वा आ बै के प्रकरण में, यह कंपनी की प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित धारा 129 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी की प्रत्येक वा आ बै में कंपनी का निदेशक मंडल ऐसी बैठक के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। यह रूपरेखा नियमित कॉर्पोरेट और वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है, जिससे कंपनी के शेयरधारकों द्वारा जाँच और निगरानी संभव होती है। तदनुसार, कंपनियों को 30 सितम्बर 2023 तक वा आ बै आयोजित करनी थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लिए अतिरिक्त जवाबदेही के मापदंड निर्धारित किए गए हैं जिनमें यह प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वा आ बै के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना चाहिए और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र, वार्षिक प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों और/या राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों

[2] एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त।

सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सी ए जी द्वारा की गई टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले संबंधित अधिनियमों में भी लगभग ऐसे ही प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब शेयरधारकों के जाँच और निगरानी के अधिकार को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के मामले में ऐसे विलंब के परिणामस्वरूप वार्षिक प्रतिवेदनों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में विलंब होता है जिससे विधायी नियंत्रण और निगरानी प्रभावित होती है।

उपरोक्त शर्तों के होते हुए भी, विभिन्न रा सा क्षे उ के वार्षिक लेखें 30 सितम्बर 2023 तक लंबित थे। उत्तराखण्ड में सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 32 रा सा क्षे उ में से केवल पाँच रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरणों 30 सितम्बर 2023 तक सी ए जी को प्रस्तुत किए थे। 27 रा सा क्षे उ के 135 लेखें विभिन्न कारणों से बकाया थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में वर्णित है। रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत लेखाओं में बकाया का विवरण **तालिका-2.1** में दिया गया है।

तालिका-2.1: 30 सितम्बर 2023 तक बकाया लेखाओं की स्थिति

विवरण	रा सा क्षे उ का प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31 मार्च, 2023 तक सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रा सा क्षे उ की संख्या	27	01	04	32
कार्यरत रा सा क्षे उ				
रा सा क्षे उ की संख्या	18	01	04	23
सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की संख्या	05	-	-	05

विवरण	रा सा क्षे उ का प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग
बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ की संख्या	13	01	04	18
बकाया लेखाओं की संख्या	69	01	10	80
बकाया लेखाओं का विस्तार	1 से 17 वर्ष	1 वर्ष	1 से 04 वर्ष	1 से 17 वर्ष
निष्क्रिय रा सा क्षे उ जो परिसमापन के अधीन नहीं हैं				
रा सा क्षे उ की संख्या	01	-	-	01
रा सा क्षे उ जिन्होंने सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए	-	-	-	-
बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ	01	-	-	01
बकाया लेखाओं की संख्या	36	-	-	36
बकाया लेखाओं का विस्तार	36	-	-	36
परिसमापन के अधीन निष्क्रिय रा सा क्षे उ				
रा सा क्षे उ की संख्या	08	-	-	08
रा सा क्षे उ जिन्होंने परिसमापन की तिथि तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए	-	-	-	-
बकाया[3] लेखाओं वाले रा सा क्षे उ	03[4]	-	-	03
बकाया लेखाओं की संख्या	19	-	-	19
बकाया लेखाओं का विस्तार	3 से 10 वर्ष	-	-	3 से 10 वर्ष

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरण।

तालिका-2.1 से, यह अवलोकन किया जा सकता है कि 18 कार्यरत रा सा क्षे उ के 80 वार्षिक लेखे और एक निष्क्रिय रा सा क्षे उ (परिसमापन के अंतर्गत रा सा क्षे उ को छोड़कर) के 36 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2023 तक एक से 36 वर्ष के मध्य की अवधि के लिए बकाया थे। इसके अतिरिक्त, परिसमापन के अंतर्गत तीन रा सा क्षे उ के 19 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2023 तक तीन से 10 वर्षों के मध्य की अवधि के लिए बकाया थे।

[3] परिसमापन के अधीन रा सा क्षे उ के मामले में, बकाया लेखाओं की गणना रा सा क्षे उ के परिसमापन की तिथि तक की गई है।

[4] परिसमापन के अंतर्गत पाँच रा सा क्षे उ ने सूचना प्रदान नहीं की।

2.2 रा सा क्षे उ के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सी ए जी की निगरानी भूमिका

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी रा सा क्षे उ के प्रबंधन की है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी करके, सी ए जी सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा में एक निरीक्षण भूमिका निभाता है। इस भूमिका का निर्वहन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करने और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पूरक या उस पर टिप्पणी करने के अधिकार का प्रयोग करके किया जाता है।

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के मामले में, सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों और सी ए जी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी ए जी को प्रस्तुत करना होता है।

चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, वा आ बै के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

सांविधिक निगमों के मामले में, लेखाओं पर सी ए जी की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प्र) के माध्यम से प्रतिवेदित की जाती हैं।

कार्यरत 23 रा सा क्षे उ में से 17 रा सा क्षे उ ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 28 वित्तीय विवरण सी ए जी को अग्रेषित किए। इनमें वर्ष 2005-06 से 2022-23 तक के वित्तीय विवरण शामिल थे। प्राप्त वित्तीय विवरणों, समीक्षित और जारी की गई टिप्पणियों/ पृ ले प्र का विवरण **तालिका-2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: प्राप्त वित्तीय विवरणों, समीक्षित और जारी की गई टिप्पणियों/ पृ ले प्र का विवरण

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			पूर्व वर्षों में		
	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त	05	-	05	17	06	23
समीक्षित	04	-	04	12	06	18
लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन[5]	01	-	01	02	-	02
शून्य टिप्पणी जारी	01	-	01	-	-	-
जारी की गई टिप्पणियाँ	03	-	03	12	06	18
गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	03	-	03

स्रोत: रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों से संकलित।

तालिका-2.2 से यह अवलोकन किया जा सकता है कि अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान प्राप्त 28 वित्तीय विवरणों में से सी ए जी ने 14 रा सा क्षे उ के 22 लेखाओं की पूरक/एकमात्र लेखापरीक्षा[6] की। तीनों लेखाओं में सी ए जी ने 'गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र' जारी किया और शेष तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रक्रिया 30 सितम्बर 2023 के पश्चात पूर्ण की गई।

2.3 सी ए जी की निगरानी भूमिका के परिणाम

अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 के दौरान ***परिशिष्ट-2.2*** में दिए गए विवरण के अनुसार 16 रा सा क्षे उ (12 सरकारी कंपनियाँ और चार सांविधिक निगम) के 27 वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ/ पृ ले प्र जारी किए गए। सी ए जी की निगरानी भूमिका के परिणामों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

2.3.1 रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सी ए जी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 13 रा सा क्षे उ (12 सरकारी कंपनियाँ और एक सांविधिक निगम) के 19 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की और उन पर टिप्पणियाँ/ पृ ले प्र जारी किए। इसके अतिरिक्त, तीन रा सा क्षे उ[7],

---

5 30 सितंबर 2023 के पश्चात समीक्षित/टिप्पणियाँ/एन आर सी जारी की गयी।

6 वार्षिक, त्रैवार्षिक और पाँच वर्षों में एक बार अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए रा सा क्षे उ के लेखाओं का चयन प्रदत्त पूंजी, नियोजित पूंजी और टर्नओवर के मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

7 उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

जहाँ सी ए जी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के आठ वित्तीय विवरणों पर पृ ले प्र इसी अवधि के दौरान जारी किए गए। तदनुसार, 16 रा सा क्षे उ[8] के 27 वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियाँ/ पृ ले प्र जारी किए गए, जिनका विवरण ***परिशिष्ट-2.2*** में दिया गया है। लाभप्रदता (लाभ/हानि का अतिकथन/अल्पकथन) और वित्तीय स्थिति (परिसंपत्तियों और देनदारियों का अतिकथन/अल्पकथन) पर प्रभाव दर्शाने वाली कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे संक्षेप में दी गई है और ***परिशिष्ट-2.3*** में विस्तृत रूप से दी गई है।

(क) सरकारी कंपनियाँ

सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का प्रभाव ₹ 166.93 करोड़ (लाभप्रदता पर) और ₹ 64.96 करोड़ (वित्तीय स्थिति पर) था, जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2016-17 से 2022-23 के लिए चार रा सा क्षे उ के चार वित्तीय विवरणों के मामले में, हानि को ₹ 63.50 करोड़ से कम बताया गया था।
- वर्ष 2021-22 से 2022-23 के लिए एक रा सा क्षे उ (यू जे वी एन लिमिटेड) के दो वित्तीय विवरणों के मामले में, लाभ को ₹ 101.14 करोड़ से अधिक बताया गया था।
- वर्ष 2022-23 के लिए एक रा सा क्षे उ (पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, लाभ को ₹ 2.29 करोड़ से कम बताया गया था।

(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2021-22 से 2022-23 के लिए तीन रा सा क्षे उ के तीन वित्तीय विवरणों के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 61.13 करोड़ से कम बताया गया था।

[8] एक रा सा क्षे उ अर्थात उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी बुनियादी ढाँचा और भवन निर्माण निगम लिमिटेड के एक वित्तीय विवरण के मामले में, कोई टिप्पणी जारी नहीं की गई थी।

- वर्ष 2021-22 के लिए एक रा सा क्षे उ (देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 3.83 करोड़ से अधिक बताया गया था।

(ख) सांविधिक निगम

सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का प्रभाव ₹ 163.97 करोड़ (लाभप्रदता पर) और ₹ 185.57 करोड़ (वित्तीय स्थिति पर) था, जैसा नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2019-20 के लिए एक सांविधिक निगम (उत्तराखण्ड परिवहन निगम) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, हानि को ₹ 83.72 करोड़ से अधिक बताया गया था।
- वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए दो सांविधिक निगमों के दो वित्तीय विवरणों के मामले में, हानि को ₹ 58.47 करोड़ से कम बताया गया था।
- वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए दो सांविधिक निगमों के दो वित्तीय विवरणों के मामले में, लाभ को ₹ 21.78 करोड़ से अधिक बताया गया था।

(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2021-22 के लिए एक रा सा क्षे उ के एक वित्तीय विवरण के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 56.02 करोड़ से कम बताया गया था।
- वर्ष 2021-22 के लिए एक रा सा क्षे उ (उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 129.55 करोड़ से अधिक बताया गया था।

2.3.2 लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1) में प्रावधान है कि वित्तीय विवरण, कंपनी के मामलों की स्थिति का एक सही और निष्पक्ष विवरण देंगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करेंगे और अनुसूची-III में प्रदत्त प्रारूप में होंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (भा ले मा) को भारतीय आर्थिक और कानूनी

परिवेश को ध्यान में रखते हुए और आई एफ आर एस मानकों का संदर्भ देते हुए अधिसूचित किया। भा ले मा, आई एफ आर एस पर आधारित थे, जो भारतीय समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों से मुख्य रूप से तीन प्रमुख पहलुओं अर्थात उचित मूल्याँकन, कानूनी प्रारूप से अधिक सार, और बैलेंस शीट पर बल, में भिन्न थे। इन भा ले मा को 01 अप्रैल 2016 से कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाया जाना है। भा ले मा के अंतर्गत न आने वाली कम्पनियाँ लेखा मानक (ले मा) लागू करना जारी रखेंगी।

उत्तराखण्ड में 31 मार्च 2023 तक, सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 28 रा सा क्षे उ थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित थे। इन 28 रा सा क्षे उ में से केवल दो रा सा क्षे उ अर्थात यू जे वी एन लिमिटेड और पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने ही भा ले मा को अपनाया था।

दो रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित किए गए भा ले मा/ ले मा के गैर-अनुपालन के मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है और विस्तार से ***परिशिष्ट-2.4*** में वर्णित किया गया है।

- दो रा सा क्षे उ (गढ़वाल मंडल विकास निगम और देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड) के दो वित्तीय विवरणों में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 ले मा का गैर-अनुपालन प्रतिवेदित किया है।

इसके अतिरिक्त, 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान दो रा सा क्षे उ के दो अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा इंगित भा ले मा/ ले मा के गैर-अनुपालन के मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है और विस्तार से ***परिशिष्ट-2.5*** में वर्णित किया गया है।

- एक रा सा क्षे उ (यू जे वी एन लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण में, भा ले मा के गैर-अनुपालन का एक मामला था।
- एक रा सा क्षे उ (किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण में, ले मा के गैर-अनुपालन के दो मामले थे।

2.4 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, लेखापरीक्षक और निगमित इकाई के संचालन के उत्तरदायी लोगों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संवाद स्थापित करना है।

रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण निष्कर्षों को कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 143(6) के अंतर्गत सी ए जी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किए गए थे। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदन अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में सी ए जी द्वारा पाई गई अनियमितताओं अथवा कमियों के बारे में भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन पत्र के माध्यम से रा सा क्षे उ के प्रबंधन को सूचित किया गया था। ये कमियाँ सामान्यत लेखांकन नीतियों और पद्धतियों के अनुप्रयोग एवं व्याख्या, लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले समायोजनों, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है तथा कतिपय सूचना के अपर्याप्त अथवा गैर-प्रकटीकरण से संबंधित होती हैं जिन पर संबंधित रा सा क्षे उ के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सी ए जी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 12 रा सा क्षे उ को 47 'प्रबंधन पत्र' जारी किए थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.6*** में विस्तृत है। इन प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- *लेखांकन नीतियों का अपर्याप्त/गैर-प्रकटीकरण।*
- *शेष राशियों का गैर-मिलान।*
- *परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय आदि का गलत वर्गीकरण।*
- *'लेखाओं के नोट्स' में अपर्याप्त/गैर-प्रकटीकरण।*

2.5 सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सी ए जी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। इन प्रतिवेदनों को सांविधिक निगमों को शासित करने वाले संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना होता है। 30 सितम्बर 2023 तक राज्य विधानमंडल में पृ ले प्र के प्रस्तुतीकरण की स्थिति का विवरण **तालिका-2.3** में दिया गया है।

तालिका-2.3: पृ ले प्र के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	लेखाओं का वर्ष जिसके लिए पृ ले प्र सांविधिक निगम को जारी किया गया	लेखाओं का नवीनतम वर्ष जिसके लिए पृ ले प्र को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया	लेखाओं का वर्ष जिसके लिए पृ ले प्र राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	कोई सूचना नहीं दी गई	कोई सूचना नहीं दी गई
2.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	2019-20 एवं 2020-21	2021-22
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	2020-21	2021-22 से 2022-23
4.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	--	2015-16 से 2018-19

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना।

तालिका-2.3 से यह अवलोकन किया जा सकता है कि चार सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों ने सी ए जी द्वारा जारी तीन पृ ले प्र को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया था। शेष दो में से एक ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी और दूसरे ने राज्य विधान मंडल में पृ ले प्र को प्रस्तुत नहीं किया था।